कार्यालय नगर पंचायत सुगौली, पूर्वी चम्पारण।

-nagarpanchayat.sugauli@gmail.com

बिहार सरकार

अल्पकालीन अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) दर आमंत्रण सूचना (ई–टेंडरिग द्वारा www-eproc2-bihar-gov-in)

आमंत्रण संख्या–05/2026–27

प्रधान सचिव ,नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक –5564 ,दिनांक –19.05.2026 द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा एवं सेवा से सम्बंधित पुर्नस्थापन तथा मरम्मत के उदेश्य से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से संवेदकों का पैनल तैयार कर अद्यतन अनुसूचित दर (SOR) के आधार पर अधिकतम 1,00,000/– (एक लाख रूपये) के लागत तक कार्य कराने का निदेश प्राप्त है इस परिपेक्ष्य में नगर पंचायत सुगौली ,पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के सभी 20 वार्डों में उपरांकित कार्यों हेतु इच्छुक संवेदकों का पैनल तैयार करने हेतु निम्न समय – सारणी एवं शर्तों के अधीन अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करते हैं–

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	**कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत सुगौली।**
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि:	दिनांक–04.06.2026
3. प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि	दिनांक 19.06.2026 समय 11:00 बजे स्थान– कार्यालय नगर पंचायत सुगौली
4. परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक–18.06.2026 से 25.06.2026 के 16:00 बजे तक (on www.eproc2.bihar.gov.in)
5. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय	दिनांक 25.06.2026 के 16:00 बजे तक (on www.eproc2.bihar.gov.in)
6. बीड खोलने की तिथि/समय	दिनांक 25.06.2026 के 16:30 बजे से (on www.eproc2.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय	तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात (on www.eproc2.bihar.gov.in)

9. कार्य का विवरण

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	अग्रधन की राशि (Through Online Payment/ बैंक गारंटी)	परिमाण विपत्र की मुल्य (Through Online Payment)	**Bid Processing Fee (Through online payment)** (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति अवधि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत सुगौली क्षेत्रांतर्गत पीसीसी रोड ,नाली/स्लैब मरम्मत, पुनर्स्थापन, नल जल मरम्मती/पुनर्स्थापन एवं अन्य विविध कार्यों के निष्पादन हेतु एजेंसियों का पैनलीकरण (Empanelment)	50000.00	5000.00	As Per Eproc2	12 माह

नोट– Bidder should submit bid processing fee through online payment as per amount generated on website www.eproc2.bihar.gov.in

8. निविदा की वैधता अवधि – 120 दिन (निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से)
9. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee "निम्न विधि से जमा करना होगा:–

   (1) "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/Debit Card), Net Banking. NEFT/RTGS.

   (2) "Bid along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department does't take any resposiblity for the delay/Non submission of Tender/Non Reconcilation of online Payment caused due to Non-availablity of Intenet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
10. संबंधित जिला के पथ निर्माण विभाग में ठेकेदार निबंधन नियमावली के श्रेणी–4 में निबंधन होना अनिवार्य है।
11. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in मे देखा जा सकता है।

12. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को (www.eproc2.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना होगा, जिससे उन्हे उपयोगकर्त्ता का नाम)User Id (पासवर्ड)Password (एवं अंकीय हस्ताक्षर)Digital Signature (निर्गत की जायेगी। यह उन्हे बेवसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने/ई.टेन्डर में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
13. उपर्युक्त निविदा मे परिमाण विपत्र का मूल्य E-payment Mode (i.e Credit/Debit Card & Net Banking) के माध्यम से भुगतेय हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जो लौटाया नही जायेगा।

Technical Terms & Condition of Tender

कार्य की विवरणी–

1 .नगर पंचायत क्षेत्र में पी.सी.सी. सड़क की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य।
2 . ईंट सोलिंग (Brick Soling) सड़क की मरम्मत कार्य।
3. नाली एवं स्लैब की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य।
4 पुलिया (Culvert) की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्य।
5. मैनहोल (MANHOLE) की मरम्मत, पुनर्निर्माण एवं ढक्कन प्रतिस्थापन कार्य।
6. सड़क के क्षतिग्रस्त भागों का पैच मरम्मत (Patch Repair) कार्य।
7. नाली की उड़ाही (Desilting) के उपरांत आवश्यक सिविल पुनर्स्थापन कार्य।
8. नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत अन्य विविध मरम्मती एवं पुनर्स्थापन कार्य।
9. कार्य संपादन के लिए कुशल (Manpower), Technician और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
10.नगर पंचायत अंतर्गत नल –जल मरम्मती/पुनर्स्थापन एवं जीर्णोद्धार तथा विद्युत् सम्बंधित मरम्मती /पुनर्स्थापन कार्य।
11.नगर पंचायत के निदेशानुसार मासिक प्रतिवेदन एवं कार्य प्रगति प्रस्तुत करना।
12.अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित अन्य सम्बंधित कार्य।

तकनीकी बिड में अभिरुचि – प्रदाता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा किया जाना आवश्यक है :–

1. पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग अथवा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से वैध निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. विगत तीन वर्षों में कुल Annual Turnover 25 lakh होना आनिवार्य है।
3. विगत 3 वित्तीय वर्षों का ITR की छायाप्रति।
4. वैध आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. GST प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं अद्यतन GST Return (GSTR-3B) की छायाप्रति।
6. पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत निम्न तथ्य हेतु शपथ पत्र–घोषणा प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र (निविदा अभिलेख के साथ अपलोड करना एवं एकरारनामा के समय मूल में समर्पित करना होगा।)

    " मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम)... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हुँ कि–

    (क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
    (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।
    (ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल/नगर निकाय के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल/वार्ड पार्षद /उप मुख्य पार्षद /मुख्य पार्षद के रूप मे कार्यरत नही है।
    (घ) निविदा मे संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नही है।
    (ड) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात, वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा जो स्वः हस्ताक्षरीत होना चाहिए। संवेदक स्कैन कर कागजातों पर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुये क्रमांक अंकित करेंगे। ताकि किसी खात कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ के आधार पर शीघ्र खोजा जा सकें।
8. निविदाकार द्वारा www-eproc2.bihar.gov. पद पर तकनीकी बीड में मांगे गए कागजातों को पोर्टल के क्रम चेकलिस्ट बनाकर अपलोड करना होगा।
9. निविदा में अपलोड सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होने चाहिए।
10. उपरोक्त वर्णित कार्यो में उपयोगी उपकरण एवं सामग्री (Tools & Plant)
11. अग्रधन की राशि कार्यपालक पदाधिकारी ,नगर पंचायत सुगौली के पक्ष में 50,000/– (पचास हजार)रूपये online अग्रधन के रूप में जमा करना होगा ,जो की असफल अभिरुचि प्रदाता को वापस कर दिया जायगा एवं सफल अभिरुचि प्रदाता को कार्य समाप्ति के बाद वापस किया जायगा।
12. उपरोक्त दस्तावेज नही होने अथवा वैध नहीं होने की स्थिति में अभिरुचि प्रदाता को तकनीकी बीड में असफल घोषित कर दिया जायेगा।
13. निविदा www.eproc2-bihar.gov पद पर तकनीकी बिड में मांगे गए कागजातों को पोर्टल के क्रम के अनुसार ही अपलोड करेंगे।

वित्तीय बीड–

- क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार उत्पन्न होने वाले अतिमहत्वपूर्ण / मरम्मत कार्यों हेतु समय–समय पर तैयार की जाने वाली BOQ के विरुद्ध निविदाकार द्वारा बिहार अनुसूची दर (SOR) के सापेक्ष में अपनी दर उद्धृत की जाएगी।
- दरें सभी करों और शुल्क सहित होंगी।
- वित्तीय बीड केवल तकनीकी निविदा में योग्य होने पर ही खोली जाएगी।
- वित्तीय निविदा के अंतर्गत अभिरुचि प्रदाताओं द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु प्रस्तावित की जाने वाली दर का उल्लेख अंक एवं शब्दों में www.eproc2.bihar.gov.पद पर करना होगा।
- अंक एवं शब्दों में अंतर रहने पर शब्दों में वर्णित दर ही मान्य होगी।

एजेंसियों के चयन एवं कार्य आवंटन संबंधी शर्तें–

1. तकनीकी रूप से सफल निविदादाकार की वित्तीय निविदा खोली जाएगी तथा वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर उनकी रैंकिंग (L1, L2, L3, L4 आदि) निर्धारित की जाएगी।
2. वित्तीय मूल्यांकन के उपरांत रैंकिंग के आधार पर शीर्ष दस (10) निविदाकारो को पैनल में सूचीबद्ध (Empanel) किया जाएगा।
3. यदि दो अथवा अधिक निविदाकारों द्वारा समान दर उद्धृत की जाती है, तो उनकी रैंकिंग (L1, L2, L3 आदि) का निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. प्रथम न्यूनतम दर (L1) उद्धृत करने वाले निविदाकार की दर को स्वीकृत दर माना जाएगा।
5. पैनल में चयनित L2, L3 एवं L4 आदि निविदाकार से यह लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी कि वे L1 निविदाकार द्वारा उद्धृत दर (स्वीकृत दर) पर ही कार्य निष्पादित करने हेतु सहमत हैं। निर्धारित अवधि के भीतर सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को अगले पात्र/रैंकधारी निविदाकार को पैनल में शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
6. पैनल में अंतिम रूप से चयनित सभी एजेंसियों द्वारा कार्यों का निष्पादन L1 दर (स्वीकृत दर) पर ही किया जाएगा।
7. नगर पंचायत सुगौली क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का आवंटन निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक सुविधा, कार्यभार, भौगोलिक स्थिति एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए चयनित एजेंसियों के मध्य किया जाएगा।
8. किसी एजेंसी को आवंटित वार्ड में आवश्यकता अनुसार उत्पन्न होने वाले मरम्मत एवं पुनर्स्थापन संबंधी कार्यों का निष्पादन कार्यादेश के अनुसार किया जाएगा।
9. निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति, एजेंसी के प्रदर्शन अथवा जनहित में किसी भी समय वार्डों के पुनः आवंटन, परिवर्तन अथवा अतिरिक्त कार्य आवंटित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
10. पैनल में सूचीबद्ध किए जाने मात्र से किसी एजेंसी को न्यूनतम कार्य अथवा निश्चित वित्तीय दायित्व का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अन्य शर्तें–

- अभिरुचि की अभिव्यक्ति के नोटिस में उल्लेखित समय एवं तिथि पर नगर पंचायत सुगौली कार्यालय में सर्वप्रथम तकनीकी निविदा www.eproc2.bihar.gov.पद पर online खोला जाएगा।
- तकनीकी रूप से सफल अभिरुचि प्रदाताओं का ही वित्तीय बिड खोला जाएगा।
- पैनलीकरण (empanelment) आपातकालीन परिस्थितियों, जनहित की आवश्यकता, क्षति, जर्जरता अथवा अन्य अप्रत्याशित कारणों से समय–समय पर उत्पन्न होने वाले विविध मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्यों के निष्पादन हेतु किया जा रहा है। चूँकि ऐसे कार्यों की प्रकृति, परिमाण एवं मात्रा का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, अतः इस निविदा में कोई निश्चित प्राक्कलित राशि निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक कार्य की प्राक्कलित राशि आवश्यकता उत्पन्न होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा पृथक रूप से तैयार एवं स्वीकृत की जाएगी तथा तदनुसार कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
- अधूरे या गलत दस्तावेज वाली निविदाएँ स्वतः निरस्त हो जाएंगी।
- नगर पंचायत सुगौली को किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
- गठित पैनेल को एक वैध अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- पैनल में चयनित प्रत्येक सफल निविदाकार को एकरारनामा से पूर्व ₹25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) नगर पंचायत सुगौली कार्यालय में जमा करनी होगी।
- निर्धारित अवधि के भीतर सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) जमा नहीं करने की स्थिति में निविदाकार का चयन निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को अन्य पात्र निविदाकार को चयनित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- सुरक्षा जमा राशि निविदा की सभी शर्तों के समुचित अनुपालन एवं कार्यों के संतोषजनक निष्पादन की गारंटी के रूप में रखी जाएगी।
- कार्य की गुणवत्ता या समयबद्धता में कमी पाए जाने पर निविदाकार को पैनेल से बाहर किया जा सकता है।
- पैनेल को किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नही होगा एवं श्रमिकों को भुगतान करने के उपरांत ही कार्यालय द्वारा विपत्र का भुगतान किया जायेगा स विपत्र का भुगतान राशि/आवंटन की उपलब्धता के सन्दर्भ में ही किया जायेगा।
- यदि किसी विशेष कार्य के निष्पादन हेतु विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभवी मानव संसाधन अथवा विशेष कार्यानुभव की आवश्यकता हो, तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी संबंधित पैनलबद्ध एजेंसी से उक्त कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र, तकनीकी

योग्यता अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। प्रस्तुत अभिलेखों के सक्षम प्राधिकार से अनुमन्यता प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त कार्य एजेंसी को आवंटित किया जा सकेगा। तथापि, किसी भी कार्य के आवंटन अथवा गैर–आवंटन का अंतिम एवं पूर्ण अधिकार निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

- सरकार एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय– समय पर निरधारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दर राशि का अनुपालन एवं निर्धारित मजदूरों से सम्बंधित मानकों का पालन कंपनीध्संस्था की जिम्मेदारी होगी।
- अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) की शर्तों के अनुरूप सफल कुल दस (10) अभिरुचि प्रदाता के साथ किया जाने वाला एकरारनामा कार्यादेश निर्गत की तिथि से 12 माह तक होगा।
- निविदाकारो को डबल बीड प्रणाली के तहत तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग अलग अपलोड करना होगा।
- सफल अभिरुचि प्रदाता को निर्धारित मूल्य का 1000/– (एक हजार)रू० का स्टाम्प पेपर स्वयं उपलब्ध कर 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा करवाना होगा।
- अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये इस म्व को स्थगित/संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा निष्पादित एकरारनामा को भी किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- मरम्मति कार्य में उपयुक्त सभी सामग्री ISI /BIS Equivalent युक्त होना चाहिए।

पैनलीकरण अवधि का विस्तार (Extension)–

- पैनल में चयनित एजेंसियों का पैनलीकरण (Empanelment) प्रारंभिक रूप से एक (01) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
- एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता, कार्य निष्पादन क्षमता एवं समग्र प्रदर्शन संतोषजनक पाए जाने पर तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा जारी अनुशंसा/संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण–पत्र के आधार पर, नगर पंचायत सुगौली को पैनलीकरण (Empanelment) अवधि को अगले एक (01) वर्ष के लिए विस्तारित करने का अधिकार होगा।
- पैनलीकरण (Empanelment) अवधि का विस्तार पूर्णतः नगर पंचायत सुगौली के विवेकाधिकार पर निर्भर होगा तथा इस संबंध में एजेंसी द्वारा किसी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

14. विस्तृत अति अल्पकालीन EOI की सूचना को कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा http://state-bihar-gov-in/prdbihar/citizen-home-html पर देखा जा सकता है स

नोट– अभिरुचि प्रदाता टेंडर में भाग लेने से पूर्व शहर के सम्पूर्ण क्षेत्र का मुआयना/अवलोकन कर लें।

नोट– यह पैनलीकरण (Empanelment) आपातकालीन परिस्थितियों, जनहित की आवश्यकता, क्षति, जर्जरता अथवा अन्य अप्रत्याशित कारणों से समय–समय पर उत्पन्न होने वाले विविध मरम्मत एवं पुनर्स्थापन कार्यों के निष्पादन हेतु किया जा रहा है। चूँकि ऐसे कार्यों की प्रकृति, परिमाण एवं मात्रा का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, अतः इस निविदा में कोई निश्चित प्राक्कलित राशि निर्धारित नहीं की गई है। प्रत्येक कार्य की प्राक्कलित राशि आवश्यकता उत्पन्न होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा पृथक रूप से तैयार एवं स्वीकृत की जाएगी तथा तदनुसार कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।

4-6-26

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सुगौली
पूर्वी चम्पारण।

ज्ञापांक 561 / दिनांक 04/6/26 /
प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल पूर्वी चम्पारण मोतिहारी।

4-6-26

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सुगौली
पूर्वी चम्पारण।